न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी जिला अलवर

———————

पीठासीन अधिकारी	नरेन्द्र कुमार मीना, आर०जे०एस०
नियमित फौज0 प्रकरण संख्या	301/2016 (C-I-S-No 2469/2016)
एफआईआर नंबर	91/16 थाना थानागाजी

राजस्थान राज्य ब ना म आसम खां

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

भाग प्रथम

क

परिवादी	राजेश कुमार पुत्र हरिराम निवासी थानागाजी जिला अलवर राज0
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व पता	आसम खां पुत्र सरपू खां निवासी पृथ्वीपुरा थाना मालाखेडा जिला अलवर राज. हाल चालक तिजारा आगर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री नरेश शर्मा

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	26.09.2016
2.	आरोप विरचित किए गए	26.09.2016
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	26.09.2016
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	27.03.2026
5.	परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	16.04.2026
6.	साक्ष्य सफाई पेश की गयी	.....
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	21.05.2026
8.	अंतिम निर्णय	21.05.2026

ग

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथी	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं.प्र. सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	आसम खां			धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता	दोषसिद्ध		

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0ड0 1	मीरा देवी	मजरूबा
पी0ड0 2	जीवनराम	नक्शा मौका, चश्मदीद गवाह
पी0ड0 3	राजेश कुमार	ताईद एफआईआर, नक्शा मौका
पी0ड0 4	प्रेमऋषि शर्मा	चश्मदीद गवाह
पी0ड0 5	विक्रम दत्त शर्मा	चश्मदीद गवाह
पी0ड0 6	जैसाराम	नक्शा मौका चश्मदीद
पी0ड0 7	रमेश चंद	नोटिस 133 एमवी एक्ट
पी0ड0 8	गौरव कवालिया	चिकित्सकीय विशेषज्ञ
पी0ड0 9	पवन कुमार	चश्मदीद गवाह
पी0ड0 10	नेतराम	मेकेनिकल मुआयना
पी0ड0 11	इंद्रभान	तफतीश हालात

ब–बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स–न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
————————		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मीरा
2.	प्रदर्श पी–2	नक्शा मौका घटनास्थल
3.	प्रदर्श पी–3	तहरीरी रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी–4	पुलिस बयान प्रेमऋषि
5.	प्रदर्श पी–5	पुलिस बयान विक्रम दत्त
6.	प्रदर्श पी–6	पुलिस बयान जैसाराम
7.	प्रदर्श पी–7	फर्द जब्ती राजस्थान रोडवेज
8.	प्रदर्श पी–8	अस्थाई सुपुर्दगी राज0 रोडवेज
9.	प्रदर्श पी–9	अधिकार पत्र
10.	प्रदर्श पी–10	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
11.	प्रदर्श पी–11	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
12.	प्रदर्श पी–12	चाक एफआईआर
13.	प्रदर्श पी–13	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट
14.	प्रदर्श पी–14	चालक का डयूटी चार्ट
15.	प्रदर्श पी–15	कार्यालय आदेश

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
ब–बचाव पक्ष प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श डी–1	पुलिस बयान मीरा देवी
2.	प्रदर्श डी–2	पुलिस बयान रामचंद्र सैनी
3.	प्रदर्श डी–4	पुलिस बयान राजेश कुमार

।। नि र्ण य ।। दिनांक :– 21.05.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2016 को परिवादी राजेश कुमार ने उपस्थित थाना थानागाजी होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 इस आशय की पेश की कि प्रार्थी की पत्नी मीरा देवी आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 02.05.2016 को करीब 11.30 बजे प्रातः अपनी डयूटी पर जाकर तथा कागजातों की पूर्ति करवाकर अस्पताल से थानागाजी बस स्टेण्ड पर अपनी साईड में सडक के नीचे खडी थी उसी समय अलवर की ओर से राजस्थान पथ परिवहन निगम तिजारा डीपो की बस नंबर आरजे 16 पीए 1754 का चालक उक्त बस को तेजी व लापरवाही से लहराकर चलाता हुआ आया और प्रार्थी की पत्नी मीरादेवी के टक्कर मार दी जिससे मीरा देवी मौके पर जमीन पर गिर गई और बस चालक ने जानबूझकर बस का अगला टायर कन्डक्टर साईड का मीरा देवी के बाये पेर पर चढा दिया जिससे मीरा देवी का बाया पैर बुरी तरह कुचल गया। मौके पर जैस्याराम सैनी, जीवनराम सैनी वगैराह ने घटना देखी। गवाहान ने प्रार्थी को सूचना दी जिससे प्रार्थी मौके पर आया व प्रार्थी व गवाहान ने मीरा देवी को सीएचसी थानागाजी में ईलाज हेतु ले गये जहां से मीरादेवी को जयपुर के लिए रैफर कर दिया। मीरादेवी को एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती करवाया गया। मीरा देवी का बायां पैर बिल्कुल क्षतिग्रस्त होने के कारण डॉक्टरों ने बायां पैर घुटने के उपर से काटकर अलग कर दिया। अभी भी मीरा देवी का जयपुर में ईलाज चल रहा है।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना थानागाजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 91/2016 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त आसम खां के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. इसके पश्चात् अभियुक्त को अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के अपराधों का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए तो सुन समझकर अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2,3,4 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

5. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाने होने का कथन किया।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करना है किः

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि–क्या दिनांक 02.05.2016 को समय करीब 11.30 एएम पर स्थान थानागाजी बस स्टेण्ड पर अभियुक्त आसम खां ने रोडवेज बस नंबर आरजे–16–पीए–1754 को लोक मार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन की सुरक्षा को संकटापित किया तथा अपनी साईड में खडी मीरा देवी को टक्कर मार दी जिससे मजरूब मीरा देवी के शरीर पर सामान्य व गम्भीर उपहतियां कारित हुई। इस प्रकार अभियुक्त आसम खां ने धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?

––यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार है?

8. दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहान के द्वारा घटना की ताईद की गई है। समस्त गवाहान के बयानों से घटना अभियुक्त की उपेक्षापूर्वक व लापरवाहीपूर्वक दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने से हुई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप संदेह से परे साबित किया है। अंत में अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होने पर अभियुक्त को युक्तियुक्त दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा दौराने बहस प्रमुख रूप से कथन रहा कि सर्वप्रथम पत्रावली पर कोई भी चश्मदीद गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं करवाये गये हैं। पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये गवाहान के द्वारा वर वक्त घटना मौके पर मौजूद ना होने, घटना स्वयं के द्वारा ना देखे जाने व चालक को ना देखे जाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में किसी भी गवाह के द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल पर देखे जाने की ताईद नहीं की गई है। पत्रावली पर एकमात्र गवाह भी चश्मदीद गवाह नहीं है, ना ही मौके पर उपस्थित लोगों को चश्मदीद गवाह के रूप में साक्ष्य सूची में पेश कर परीक्षित करवाया गया है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध सुनिश्चित करने में पूर्णत असफल रहे हैं। अंत में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे अपराध साबित ना होने के आधार पर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

10. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 गवाह परीक्षित करवाये गए हैं। गवाह पी.ड. 3 राजेश कुमार, जिसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट

प्रदर्श पी. 3 पर हस्तगत प्रकरण संस्थित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उसकी पत्नी मीरा देवी आशा सहयोगिनी के पद पर कार्य करती है। दिनांक 2 मई 2016 को सुबह 11.30 बजे की घटना है। उसकी पत्नी अस्पताल से काम करके बस स्टैण्ड पर सडक के साइड में खड़ी थी। अलवर की तरफ से एक रोडवेज बस जिसके नम्बर आरजे 16 1754 था तेज गति से आ रही थी। चालक बस को लापरवाही से चला रहा था। बस ने उसकी पत्नी को पीछे से टककर मार दी। उसकी पत्नी का बाया पैर कन्डक्टर साईड के टायर के नीचे आ गया था। उसे घटना की सूचना जीवनराम ने फोन पर दी। वह मौके पर पहुंचा। चालक व कन्डक्टर मौके से फरार हो गये थे। बस मौके पर ही खडी थी। उसने गाडी बुलायी तथा उस गाडी से पत्नी को अस्पताल लेकर गया। वहां से जयपुर एसएमएस के लिये रैफर कर दिया। उसकी पत्नी का ईलाज करवाया जहां डाक्टरों ने उसकी पत्नी का पैर काटकर अलग किया। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 थाने में दर्ज करवायी। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 02 है जो पुलिस ने उसके समक्ष बनाया था। पुलिस में उसके बयान भी हुये थे। यह दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि वह वक्त घ ाटना मौके पर मौजूद नहीं था। उसे घटना की सूचना मिलने के पांच मिनट बाद ही मौके पर पहुंच गया था। उसे घटना की सूचना जीवनराम ने दी थी। यह सही है कि तहरीरी रिपोर्ट में बस मौके पर खडी होने वाली बात अंकित नहीं है। बस के तेज गति से आने की बात उसे वहां पर खडे लोगों ने बताया था जिनके नाम वह नहीं जानता। यह बात सही है कि उसने लोगों के कहे अनुसार ही बस का तेजगति से आना बताया। घटना के पांच छह दिन बाद नक्शा मौका बनाया था। दस दिन बाद नहीं बनाया। नक्शा मौका बनाते समय मौके पर जीवनराम उपस्थित था। नक्शा मौका कितने बजे बनाया यह आज उसे ध्यान नहीं है। उसके पुलिस में बयान एक महिने बाद हुए थे। यह बात सही है कि दस दिन बाद कोई बयान नहीं हुए। यह बात सही है कि पुलिस ने 10 दिन बाद कोई बयान लिये हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि थानागाजी बस स्टेण्ड पर हर दस पंद्रह मिनट में बस आती है। बस तिजारा आगर की थी। यह कहना गलत है कि उसकी पत्नी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो और उसने क्लेम लेने के लिए झूठा केस दर्ज करवाया हो।

11. गवाह पी.ड.1 मीरा देवी जो कि प्रकरण में मजरूबा हैं। उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि दिनांक 02.05.2016 को करीब 11.30 बजे सुबह की घटना है। वह उस वक्त आशा सहयोगिनी के पद पर थानागाजी में कार्यरत थी। वह उस दिन अपनी डयूटी पर जाकर कागजों की पूर्ति अस्पताल से करवाकर अस्पताल से थानागाजी बस स्टैण्ड आयी थी। वह सडक से नीचे साईड में खड़ी थी

उसी समय अलवर की ओर से राज. रोडवेज की बस नम्बर आरजे 16 पीए 1754 का ड्राईवर बस को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके टक्कर मार दी जिससे वह जमीन पर गिर गई और बस का आगे वाला टायर उसके बाये पैर पर चढ़ गया जिससे उसका बायां पैर पूरी तरह कुचल गया। आसपास के लोगों में से जैसाराम सैनी व जीवनराम ने उसके पति को मौके पर फोन करके बुलाया। उसके पति मौके पर आये उसे उठाया। एम्बूलेंस को फोन किया तो एम्बूलेंस नहीं आयी तो उसके चाचा ससुर की गाडी से उसे अस्पताल पहुंचाया जहां से इमरजेंसी से उसे एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुंचाया जहां डॉक्टरो ने जांच पडताल करके अगले दिन 8.00–8.30 बजे सुबह उसके क्षतिग्रस्त पैर को घुटने के उपर से काट दिया। उसका एक्सीडेंट उस बस चालक की लापरवाही से हुआ था। मौके पर बस का चालक बसा को छोडकर भाग गया था। पुलिस ने उसका मेडिकल मुआयना करवाया जो प्रदर्श पी 01 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्व ारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि थानागाजी रोड पर हर दस पंद्रह मिनट में गाडी आती रहती है। उसके पुलिस में बयान घटना के एक महिने बाद हुए थे। वह सडक के दायी तरफ सडक के नीचे खडी थी। वह चौराहे पर नहीं खडी थी। गाडी के नंबर पीछे ही होते हैं और पीछे से देखे थे। वह थोडी देर बाद बेहोश हो गई थी। मौके पर काफी भीड हो गई थी और चाय वाले जैसाराम और जीवनराम थे। उसने पुलिस को नाम बताया था लेकिन क्यों नहीं लिखा उसे नहीं पता। उसने चालक परिचालक को नहीं देखा। उसने अपने पति को घटना के बारे में नहीं बताया।

12. गवाह पी0ड0 2 जीवनराम जो प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त गवाह द्वारा अपने न्यायालय में हुए बयानों में यह कथन किये गये हैं कि मई 2016 को सुबह 11. 00–11.30 बजे की घटना है। वह उस वक्त जैसाराम के साथ बस स्टैण्ड पर बैठकर चाय पी रहा था। अलवर की तरफ से रोडवेज बस आ रही थी। रोडवेज बस के नम्बर आज उसे ध्यान नहीं है। बस काफी तेजी से आ रही थी। महिला का नाम उसे याद नहीं है लेकिन सडक के साइड में खड़ी थी। बस ने तेजी से आकर उसके पैर पर बस को चढ़ा दिया। बस चालक तेजी से आ रहा था और सही नहीं चला रहा था। महिला के पैर पर बस वाले ने बस चढ़ा दिया था। जिससे महिला का पूरा पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। काफी भीड एकत्रित हो गई थी। उनमें से किसी ने महिला के घरवालों को सूचना दी। महिला को उसके घरवाले ही अस्पताल लेकर गये। पुलिस ने उसके बयान घ ाटना के 5–6 दिन बाद लिये थे तथा नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 02 उसके समक्ष बनाया था। यह दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि वह जैसाराम की दुकान पर चाय पी रहा था। उसने घटना की सूचना महिला के परिवार को नहीं दी। वह

इस महिन को नहीं जानता। उसका नाम पुलिस वालों ने लिख दिया। इसी कारण बयान देने आया है। प्रदर्श पी 2 उसके सामने नहीं बनाया। प्रदर्श पी 2 पर हस्ताक्षर पुलिस वालां ने थाने पर करवाये थे। उसे इसकी जानकारी नहीं है कि उसमें क्या लिखा था। वह पढालिखा नहीं है। घटनाबस स्टेण्ड थानागाजी पर ही घटी थी। रोड के पश्चिम की तरफ घटना घटी थी। यह बात सही है कि उसके द्वारा ना तो रोडवेज बस के चालक को देखा गया और ना ही गाडी के नंबर देखे गये। यह कहना सही है कि उसे गाडी के नंबर किसी ने बताये भी नहीं। यह भी सही है कि उसने पुलिस बयानों में गाडी के नंबर नहीं बताये। पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 को ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया। वह थाने में घटना के चार पांच दिन बाद गया और उसके बाद कभी भी थाने पर नहीं गया और ना ही कभी हस्ताक्षर किये। यह बात सही है कि मौके पर चौराहा है और वहां भीड रहती है। यह बात सही है कि मौके पर गाये भी घूमती है पर वक्त घटना कोई गाय वगैरा नहीं थी। वह चाय पी रहा था और दुर्घटना उसने होते हुए नहीं देखी। उधर उसकी पीठ थी परन्तु बस चालक बस बहुत तेज गति से चलाकर ला रहा था जिसे देखकर वह कह रहा था कि यह किसी ना किसी को मारेगा। बस अलवर की तरफ से आ रही थी। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी हो।

13. गवाह पी.ड. 4 प्रेमऋषि शर्मा, पी0ड0 5 विक्रम दत्त शर्मा, पी0ड0 6 जैसाराम जो प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाहान पक्षद्रोही घोषित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाहान ने रोडवेज चालक की कोई गलती नहीं होने, बस के धीरे धीरे चलने तथा रोडवेज चालक की कोई लापरवाही नहीं होने का कथन किया है तथा गवाह पी0ड0 6 जैसाराम द्वारा अपने सामने कोई घटना नहीं देखने का कथन किया है। ऐसे में उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

14. गवाह पी.ड.9 पवन कुमार है जो कि प्रकरण में चश्मदीद गवाह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 02.05.2016 को वह बस नंबर आरजे 16 पीए 1754 में परिचालक पर था उस पर बस चालक आसम खां था। वे अलवर से प्रातः 10.20 पर जयपुर के लिए रवाना होकर वाया थानागाजी होकर जा रहे थे। लगभग 11. 30 बजे वे बस स्टेण्ड पहुंचे जहां पर काफी सवारी थी व काफी भीड थी। चालक ने सवारी उतारने व चढाने के लिए धीरे–धीरे बस रोक दी। नीचे आवाज आई की एक महिला गिर गई। उन्होंने देखा कि महिला बस के नीचे पडी हुई थी जिसके पैर में लगी हुई थी। चारों तरफ काफी भीड इक्कठी होने के कारण बस पुलिस थाना थानागाजी लेकर गये। पुलिस ने उनकी बस जर्ये फर्द प्रदर्श पी 7 दिनांक 17.05.2016 को उसके सामने जप्त की गई। उक्त बस को पुलिस ने दिनांक 18.05.2016 को जर्ये अस्थाई सुपुर्दगी प्रदर्श पी 8 उसके सामने रमेश चन्द बारी को सुपुर्द की थी। अधिवक्ता

अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि बस धीरे धीरे चल रही थी। महिला पहले से ही विकलांग थी। इस कारण से उसका बैलेंस बिगड गया और भीड की वजह से गिर गई। बस चालक आसम की कोई लापरवाही नहीं थी। वह अपनी बस आराम से चला रहा था व स्टेण्ड पर धीरे धीरे रोक दिया था। बस रूकते समय सवारियां बस में चढने के लिए पीछे–पीछे भाग रही थी। तभी वह महिला गिर गई।

15. गवाह पी.ड.8 डॉ. गौरव कवालिया है जो कि प्रकरण में चिकित्सकीय विशेषज्ञ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 30.05.2016 को सीएचसी थानागाजी में एमओ के पद पर तैनात था। उस दिन थाना थानागाजी के प्रतिवेदन पर मजरूबा श्रीमती मीरा लखेरा पत्नी राजेश लखेरा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल किया था। जिसका बांया पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ था। चोटें गंभीर प्रकृति की तथा कुन्द हथियार द्वारा कारित थी। जिसका ऑपरेशन दिनांक 03.05.2016 को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में हुआ था। मजरूब के एसएमएस हॉस्पिटल के ईलाज के डिस्चार्ज टिकट व ईलाज के दस्तावेजों को देखकर उसके द्वारा चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 1 की चोट गंभीर प्रकृति की बताया गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि महिला पहले से विकलांग हो तो उसे जानकारी नहीं है। एसएमएस अस्पताल की रिपोर्ट में चोट की अवधि का इंद्राज नहीं है। यह बात सही है कि प्रार्थीया द्वारा जो ऑरिजनल रिपोर्ट दिखाई थी वह पत्रावली में नहीं है। यह बात सही है कि यह चोट गिरने से नहीं आ सकती है। भारी चीज के गिरने से आ सकती है। मरीज होश हवास में था। यह बात सही है कि उसने जिन दस्तावेजों से रिपोर्ट बनाई थी। असल पत्रावली में नहीं है। फोटोप्रति संलग्न है।

16. गवाह पी.ड.7 रमेश चंद बारी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 17.05.2016 को सहायक प्रबंधक प्रशासन मत्स्यनगर अलवर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे प्रबंधक अलवर द्वारा राज0 राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगर की बस नंबर आरजे 16 पीएम 1754 को सुपुर्दगी पर लेने हेतु अधिकृत किया था। उक्त बस को थाना थानागाजी में जर्ये फर्द प्रदर्श पी 7 के जप्त किया गया था। उक्त बस को उसे पुलिस ने अस्थाई सुपुर्दगी पर जर्ये फर्द प्रदर्श पी 8 के उसे दिया था। उसे दिया गया अधिकार पत्र प्रदर्श पी 9, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 10 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि वह वक्त घटना मौके पर नहीं था। यह बात सही है कि उसने बस थाना थानागाजी में दिनांक 17.05.2016 को जप्त करवाई थी। उसने 18.05.2016 को थाने से बस सुपुर्दगी पर ली थी। यह बात सही है कि अलवर से जयपुर के लिए प्रत्येक बीस मिनट में बस चलती है। वह यह नहीं बता सकता कि बस कहां जा रही थी तथा किस

समय कहां से रवाना हुई थी। केवल बस छुडाने के लिए उसे अधिकृत किया गया था। उसकी डयूटी मत्स्यनगर आगर अलवर में थी और यह बस तिजारा डिपो की थी। उसके द्वारा तिजारा चालक के बारे में पूछा। यह बात सही है कि उसने उसकी 133 एमवी एक्ट नोटिस के जवाब में लोक बु, उसके द्वारा चालक व तिजारा आगर के नोटिस के बारे में अंकन नहीं है। यह बात सही है कि उसने प्रदर्श पी 9 के आधार पर चालक का नाम लिखवाया था। डयूटी चार्ट पर उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उसके द्वारा थाने में डयूटी चार्ट दिया जाना अंकित है।

17. गवाह पी.ड.10 नेतराम जो कि प्रकरण में मेकेनिकल मुआयना का गवाह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 18.05.2016 को वह पुलिस लाईन अलवर में चालक के पद पर तैनात था। उस दिन एसएसओ थानागाजी के प्रतिवेदन पर लाइन से रवाना होकर थाना थानागाजी पहुंचा जहां पर मुकदमा नंबर 91/2016 में जब्तशुदा रोडवेज बस नंबर आरजे 16 पीए 1754 का मैकेनिकल मुआयना किया। बस पर कोई टूटफूट का निशान नहीं था। बस को चलाकर देखा तो सभी कंट्रोल सिस्टम सही काम कर रहे थे। मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि वक्त मुआयना बस पर दुर्घटना के कोई अलामात मौजूद नहीं थे।

18. गवाह पी.ड.11 इन्द्रभान जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह दिनांक 11.05.2016 को थाना थानागाजी में एचसी के पद पर कार्यरत था। उस दिन परिवादी राजेश लखेरा ने उपस्थित थाना होकर एसएचओ सचिन शर्मा के समक्ष एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 पेश की थी जिस पर उनके द्वारा सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित कर एफआईआर नं 91/16 अंतर्गत धारा 279, 337 आईपीसी में दर्ज कर तपतीश उसके जिम्मे की थी। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 12 है। दौरान अनुसंधान उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 परिवादी व गवाहों की निशादेही से बनाया था। गवाह जीवनराम, राजेश कुमार, जेसाराम, प्रेमऋषि शर्मा, विकम दत्त शर्मा, पवन कुमार, श्रीमती मीरा देवी के बयान गवाहों के कथनानुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये। मजरूबा श्रीमती मीरा लखेरा की चोटों का मेडिकल कराकर शामिल पत्रावली कि गई तथा मजरूबा के एसएमएस अस्पताल की बेड हेड टिकट की फोटो प्रति शामिल पत्रावली की। मजरूबा की चोट गंभीर प्रकृति होने के कारण धारा 338 आईपीसी दुर्घटना कारित वाहन रोडवेज बस आरजे 16 पीए 1754 को जब्त किया गया और जरिये फर्द प्रदर्श पी 07 उसके द्वारा जब्त किया गया। उक्त बस को बाद मैकेनिक मुआयना नियमानुसार जरिये फर्द प्रदर्श पी 08 के अस्थायी सुपुर्दगी पर सुपुर्द किया गया। दुर्घटना कारित वाहन के अधिकृत अधिकारी रमेश चंद बारी को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर बाद जवाब

प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी 10 है। दुर्घटना कारित वाहन चालक आसम खां को धारा 134 एमवी एक्ट का उसके द्वारा नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी 13 है। मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 शामिल पत्रावली की गई। दुर्घटना कारित बस के चालक का डयूटी चार्ज प्रदर्श पी 14 व अधिकार पत्र प्रदर्श पी 09, प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त बस की लोग बुक, आरसी, चालक आसम खां के लाइसेंस की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। चालक आसम खां का नियुक्ति आदेश की अटेस्टेड प्रति प्रदर्श पी 15 शामिल पत्रावली की गई। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम आसम खान के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 338 आईपीसी प्रमाणित पाये जाने पर उसके द्वारा पत्रावली थानाधिकारी सचिन शर्मा को पेश की गई। जिन्होंने उक्त मुलजिम के विरूद्ध उक्त धाराओं में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि जिस व्यक्ति के द्वारा प्रदर्श पी 15 पर अटेस्टेड किया गया है उसे वह गवाह सूची में नहीं रखा और ना ही उसने उसके बयान लिये। लोग बुक फोटो प्रति संलग्ल है प्रमाणित प्रति नहीं है। लोग बुक वाहन की होती है। चालक की नहीं। पीडिता मीरा देवी की एसएमएस की बेड हेड टिकट की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं की। यह कहना सही है कि उसके द्वारा मरीज की एडमिट रहने की टिकट बाबत् एसएमएस में जाकर जांच नहीं की गई। नक्शा मौका घटना के दस दिन बाद बनाया था। यह बात सही है कि वाहन की गति सीमा कितनी थी। यह बयानों में अंकित नहीं है। उसे जानकारी नहीं है अलवर से जयपुर जाने वाली रोड पर हर पंद्रह बीस मिनट में बस आती है। यह कहना सही है कि घटना स्थल आम स्टेण्ड थानागाजी का है जहां काफी भीड होती है। वह नहीं बता सकता कि पचास मीटर की दूरी पर भीड रहती है जिस पर आवागमन रहता है। वाहन चालक पर निर्भर करता है कि भीडभाड वाले स्थानों पर कितनी गति से बस चलाई जावे। यह कहना गलत है कि बस रूक गई थी। मीरा देवी सवारी चढने गई तब गिरी थी। घटना स्थल का निरीक्षण के समय घटना स्थल पर खून जैसे कोई अलामात नहीं थे। यह बात सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 1, 2, 3 में नक्शा बनाया गया है, पर दुकानों के मालिक के नाम अंकित नहीं है। मौके पर चश्मदीद गवाहों को साक्षी बनाकर कथन लेखबद्ध किये गये थे जो शामिल पत्रावली है। नक्शा मौका में दर्शित दुकान 1, 2 मालिक के नाम अंकित नहीं किये गये। दुकान मालिक नंबर 3 जैसाराम का नाम अंकित है। दो नंबर वाली बात सही है तीन नंबर वाली गलत है। यह कहना गलत है कि दुघ र्टना रोडवेज बस से नहीं हुई है।

19. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध संकलित सामग्री के आधार पर यह दर्शित होता है कि परिवादी राजेश ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 इस आशय की पेश की कि प्रार्थी की पत्नी मीरा देवी आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर

कार्यरत है तथा दिनांक 02.05.2016 को करीब 11.30 बजे प्रातः अपनी डयूटी पर जाकर तथा कागजातों की पूर्ति करवाकर अस्पताल से थानागाजी बस स्टेण्ड पर अपनी साईड में सडक के नीचे खडी थी उसी समय अलवर की ओर से राजस्थान पथ परिवहन निगम तिजारा डीपो की बस नंबर आरजे 16 पीए 1754 का चालक उक्त बस को तेजी व लापरवाही से लहराकर चलाता हुआ आया और प्रार्थी की पत्नी मीरादेवी के टक्कर मार दी जिससे मीरा देवी मौके पर जमीन पर गिर गई और बस चालक ने जानबूझकर बस का अगला टायर कन्डक्टर साईड का मीरा देवी के बांये पेर पर चढा दिया जिससे मीरा देवी का बांया पैर बुरी तरह कुचल गया। मौके पर जैस्याराम सैनी, जीवनराम सैनी वगैराह ने घटना देखी। गवाहान ने प्रार्थी को सूचना दी जिससे प्रार्थी मौके पर आया व प्रार्थी व गवाहान ने मीरा देवी को सीएचसी थानागाजी में ईलाज हेतु ले गये जहां से मीरादेवी को जयपुर के लिए रैफर कर दिया। मीरादेवी को एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती करवाया गया। मीरा देवी का बायां पैर बिल्कुल क्षतिग्रस्त होने के कारण डॉक्टरों ने बायां पैर घुटने के उपर से काटकर अलग कर दिया।

20. दुर्घटना के मामले में न्यायालय को दो बिन्दूओं को देखा जाना होता है। प्रथम तो यह कि चालक की पहचान होना आवश्यक है एवं द्वितीय यह कि चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया जाना। प्रथम बिंदू के संबंध में हस्तगत प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 परिवादी राजेश कुमार द्वारा लिखवाई गई है। उक्त बिंदू के संबंध में दुर्घटना कारित बस के परिचालक गवाह पी0ड0 9 पवन कुमार के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 02.05.2016 को वह बस नंबर आरजे 16 पीए 1754 का चालक आसम खां था। जिसके कथनों की ताईद गवाह पी0ड0 11 इन्द्रभान अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई है जिसने अपने बयानों में यह पुष्टि की है कि दुर्घटना कारित वाहन के अधिकृत अधिकारी रमेश चंद बारी को दिये गये नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट के जवाब के आधार पर आसम खां को अभियुक्त माना है। उक्त दोनों गवाहान के कथनों की ताईद प्रदर्श पी 14 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगर के चालक के डयूटी चार्ट से होती है जिसमें उक्त दुर्घटना कारित वाहन बस का चालक का नाम आसम खां अंकित है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह दर्शित है कि दुर्घटना दिनांक 02.05.2016 को दुर्घटना कारित वाहन का चालक आसम खां था। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया गया अथवा नहीं। जिस संबंध में गवाह पी0ड0 3 राजेश कुमार के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने अपने बयानों में यह कथन किया गया है कि दिनांक 2 मई 2016 को सुबह 11.30 बजे उसकी पत्नी मीरा देवी के अलवर की तरफ से एक रोडवेज बस नम्बर आरजे 16 1754 के चालक द्वारा बस को लापरवाही से चलाया जाकर उसकी पत्नी को पीछे से टक्कर मारने

का कथन किया है। परन्तु उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं था। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष चालक द्वारा बस को लापरवाही पूवर्क चलाया जाना दर्शित नहीं होता है। इसी संबंध में गवाह पी0ड0 1 मीरा देवी जो स्वयं मजरूबा है के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने अपने बयानों में दुर्घटना के संबंध में दिनांक 02.05. 2016 को करीब 11.30 बजे सुबह अलवर की ओर से राज. रोडवेज की बस नम्बर आरजे 16 पीए 1754 का चालक बस को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए आने व उसके टक्कर मारने का कथन किया है जिससे वह जमीन पर गिर गई और बस का आगे वाला टायर उसके बाये पैर पर चढ़ गया जिससे उसका बायां पैर पूरी तरह कुचल गया। परन्तु अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने मौके पर काफी भीडभाड होने व पीछे से उसके टक्कर लगने का कथन किया है जिससे न्यायालय के समक्ष यह दर्शित है कि जब पीछे से मजरूबा के टक्कर लगी तो उसके द्वारा बस को नहीं देखा गया। जिससे उक्त गवाह के कथनों से भी चालक की लापरवाही दर्शित नहीं हो पाती है। इसी क्रम में गवाह पी0ड0 2 जीवनराम सैनी जो कि प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया गया है कि मौके पर काफी भीडभाड रहती है तथा उसने दुर्घटना होते हुए नहीं है परन्तु एक ओर उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसने दुर्घटना देखी है और बस चालक बस को बहुत तेजी से चलाकर ला रहा है। ऐसे में उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में दो अलग अलग विरोधाभासी कथन किये गये हैं। जो चालक की लापरवाही को पूर्ण से दर्शित नहीं करते हैं। गवाह पी0ड0 4 प्रेमऋषि शर्मा, गवाह पी0ड0 5 विक्रम दत्त शर्मा, व गवाह पी0ड0 6 जैसाराम जो कि प्रकरण के चश्मदीद गवाह हैं परन्तु उक्त गवाहान प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किये जा चुके हैं तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में रोडवेज चालक की कोई गलती नहीं होने, बस के धीरे धीरे चलने तथा रोडवेज चालक की कोई लारवाही नहीं होने का कथन करते हैं तथा गवाह पी0ड0 6 जैसाराम द्व ारा तो अपने सामने कोई घटना ही नहीं घटित होने का कथन करता है। उक्त के संबंध में दुर्घटना कारित वाहन बस के परिचालक गवाह पी0ड0 9 पवन कुमार ने अपने बयानों में चालक द्वारा सवारी उतारने व चढाने के लिए धीरे–धीरे बस रोक देने का स्पष्ट कथन किया है तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह इस बात पर अडिग रहा है कि बस धीरे धीरे चल रही थी। महिला पहले से ही विकलांग थी। इस कारण से उसका बैलेंस बिगड गया और भीड की वजह से गिर गई। बस चालक आसम की कोई लापरवाही नहीं थी। वह अपनी बस आराम से चला रहा था व स्टेण्ड पर धीरे धीरे रोक दिया था। बस रूकते समय सवारियां बस में चढने के लिए पीछे–पीछे भाग रही थी। तभी वह महिला गिर गई। ऐसे में उपरोक्त किसी भी गवाहान द्वारा

स्पष्ट रूप से ऐसा कोई भी कथन अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई हो।

21. ऐसे में उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 02.05.2016 को समय करीब 11.30 एएम पर स्थान थानागाजी बस स्टेण्ड पर अभियुक्त आसम खां ने रोडवेज बस नंबर आरजे–16–पीए–1754 को लोक मार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन की सुरक्षा को संकटापित किया तथा अपनी साईड में खडी मीरा देवी को टक्कर मार दी जिससे मजरूब मीरा देवी के शरीर पर सामान्य व गम्भीर उपहतियां कारित हुई। जिससे अभियुक्त आसम खां को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

22. परिणामतः अभियुक्त आसम खां पुत्र सरपू खां निवासी पृथ्वीपुरा थाना मालाखेडा जिला अलवर राज. हाल चालक तिजारा आगर को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

23. इस प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस नंबर आरजे आरजे 16 पीए 1754 प्रार्थी के पास सुपुर्दर्गीनामे एवं जमानतनामे पर है जो उसी के पास रहने दी जाए तथा बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में उक्त सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावे। साथ ही अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत राशि 10,000/–रूपए की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करे कि वह इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर

24. निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर